न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 152/2022
GCMS NO. : 2022/286

–: वादीगण :– **बनाम** **–: प्रतिवादी :–**

1. अणदाईदेवी पत्नी शिवराज
2. कमलादेवी पुत्री शिवराज
3. छोटूडी पत्नी शिवराज
4. राकेश पुत्र बक्साराम
5. सरिता पुत्री बक्साराम
6. सनु पुत्री बक्साराम

जातियान जाट निवासीगण खारचिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

प्रतिवादी:
1. तहसीलदार, जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

दावा बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.16/08/2022

उपस्थितः–

1. श्री किशोर कुमावत, श्री राजूराम कुमावत, अधिवक्ता, वादीगण।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 25/01/2024**

अधिवक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा खारचिया, पटवार हल्का कावलियाकलां, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 336 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 86 रकबा 3.3589 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 97 रकबा 1.6430 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 95 रकबा 4.1521 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.4371 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 160 रकबा 3.6664 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 243 रकबा 0.1214 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 338 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.1295 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 9[illegible] रकबा 0.[illegible] हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 337 रकबा 0.7527 हैक्टेयर किस्म चाही [illegible], खसरा नम्बर 13 रकबा 0.8903 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.1942 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.2347 हैक्टेयर किस्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:48 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

चाही चारम, खसरा नम्बर 9 रकबा 2.5495 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि आई हुई है। वादिया संख्या 1 अपने पति व वादिया संख्या 2 पिता तथा वादिया संख्या 3 के ससुर एवं वादीगण संख्या 4 से 6 के दादा स्वर्गीय शिवराज पुत्र हजारीराम के माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक-हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण की वंश वंशावली वादपत्र में अंकित की गई। वादीगण संख्या 1 के पति व 2 के पिता तथा 3 के ससुर एवं 4 से 6 के दादा शिवराज के पिता हजारीराम वल्द भूरा का देहान्त होने पर खसरा नम्बर 13, 253, 340, 9 के राजस्व रेकर्ड मे जरिये फौतदगी म्युटेशन संख्या 81 के उक्त आराजी मे वादीगण संख्या 1 के पति व वादीगण संख्या 2 के पिता तथा वादीगण संख्या 3 के ससुर एवं वादीगण संख्या 4 से 6 के दादा का घरेलू एवं बोलचाल की भाषा मे लाड प्यार से लिये जाने वाला नाम शिवराम वल्द हजारीराम का इन्द्राज कर दिया गया तथा खसरा संख्या 336, 86, 97, 95, 16, 160, 218, 243, 255, 338, 89, 91, 232, 337 के राजस्व रेकर्ड में जरिये फौतेदगी नामानतरण संख्या 95 के उक्त आराजी मे वादीगण संख्या 1 के पति व 2 के पिता तथा 3 के ससूर एवं 4 से 6 के दादा का नाम हीरा वल्द हजारीराम का इन्द्राज कर दिया, जो गलत है। जबकि वादीगण संख्या 1 के पति व 2 के पिता तथा 3 के ससूर एवं 4 से 6 के दादा का सही व वास्तविक तथा दस्तावेजी नाम शिवराज पुत्र हजारीराम है। वादीगण के परिवार आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक डायरी, इत्यादि दस्तावेजात में वादीगण के पति, पिता व ससुर तथा दादा का नाम शिवराज पुत्र हजारीराम दर्ज है। वादीगण के पति, पिता व ससुर तथा दादा शिवराज का देहान्त दिनांक 03/10/2020 को हो चुका है। इसलिए वादीगण के पति, पिता व ससूर तथा दादा का नाम राजस्व रेकर्ड में फौतेदगी नामान्तरण के गलत नाम शिवराम पुत्र हजारीराम एवं हीरा पुत्र हजारीराम दर्ज कर देने वादीगण को कई प्रकार की कठिनाईयों एवं समस्याओं का सामना करना पडता है तथा वादीगण अपने नाम से फौतेदगी नामान्तरण करवाकर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकते है तथा न ही केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है। वादीगण ने अपने पति, पिता व ससूर तथा दादा के हक हिस्से की भूमि में जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण के अपना नाम दर्ज करवाने हेतु दिनाँक 26/07/2022 को राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की तब प्राथीगण को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि राजस्व रेकर्ड मे वादीगण के पति, पिता व ससुर तथा दादा का जरिये फौतेदगी नामान्तरण के गलत नाम कुछेक खसरा नम्बर मे शिवराम पुत्र हजारीराम व कुछेक खसरा नम्बर में हीरा पुत्र हजारीराम दर्ज है। तब वादीगण ने प्रतिवादी को आवेदन पत्र [illegible] राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अपने पति, पिता व ससुर तथा दादा के जरिये फौते[illegible] नामान्तरकरण के गलत नाम शिवराम पुत्र हजारीराम व हीरा पुत्र हजारीराम के स्थान पर संशोधन कर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त कर राजस्व रेकर्ड मे वादीगण के पति, पिता व ससुर तथा दादा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:48 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर [illegible]

सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम शिवराज पुत्र हजारीराम दर्ज करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया एवं न्यायालय के आदेश से ही राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने का कथन किया। इसलिए वादीगण की और से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादीगण को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं से फायदा नहीं उठा पा रहा है। जिस पर सहखातेदारों से सम्पर्क किया तो उन्होने मौके पर कब्जे काश्त एवं वादीगण के पति, पिता ससूर व दादा का नाम की रेकर्ड दुरूस्त करवाने का कथन किया। इसलिए सहखातेदारान के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं चाही गई है। इसलिए सहखातेदार काश्तकार को प्रतिवादी पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लेण्ड होल्डर है इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 26/07/2022 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं अप्रार्थी को राजस्व रेकर्ड में अपने पति, पिता, ससुर व दादा का सही व वास्तविक नाम इन्द्राज करने का कथन करने पर अप्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरूस्त करने एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन पर बमुकाम खारचिया, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष अन्दर मियाद पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण द्वारा जवाब दावा पेश किया गया, जो शामिल मिसल है।

प्रतिवादी/तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा में कथन किया है कि मौका जॉच अनुसार व दस्तावेजों के अनुसार शिवराज पुत्र हजारीराम को गांव में बोलचाल की भाषा में शिवराम पुत्र हजारीराम व हीराराम पुत्र हजारीराम के नाम से भी पुकारा जाता था। उपरोक्त अनुसार वास्तविक व सही नाम शिवराज पुत्र हजारीराम है। फर्द मौका जांच व शिवराज पुत्र हजारी के अन्य दस्तावेजी यथा आधारा कार्ड, परिचय पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर हीरा पुत्र हजारीराम, शिवराम पुत्र हजारीराम के स्थान पर शिवराज पुत्र हजारीराम वास्तविक नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में वादिया कमली पुत्री शिवराज, छोटूडी पत्नी बक्साराम, राकेश पुत्र बक्साराम का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गए, जो शा0नि0 [illegible] बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:48 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रकरण तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. वादीगण द्वारा वादपत्र में यह निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा खारचिया, पटवार हल्का कावलियाकलां, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 336 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 86 रकबा 3.3589 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 97 रकबा 1.6430 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 95 रकबा 4.1521 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.4371 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 160 रकबा 3.6664 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 243 रकबा 0.1214 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 338 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.1295 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 337 रकबा 0.7527 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.8903 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.1942 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.2347 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 9 रकबा 2.5495 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। खसरा नम्बर 13, 253, 340, 9 के राजस्व रेकर्ड में जरिये फौतदगी म्युटेशन संख्या 81 के उक्त आराजी मे वादीगण संख्या 1 के पति व वादीगण संख्या 2 के पिता तथा वादीगण संख्या 3 के ससुर एवं वादीगण संख्या 4 से 6 के दादा का घरेलू एवं बोलचाल की भाषा मे लाड प्यार से लिये जाने वाला नाम **शिवराम वल्द हजारीराम** का इन्द्राज कर दिया गया तथा खसरा संख्या 336, 86, 97, 95, 16, 160, 218, 243, 255, 338, 89, 91, 232, 337 के राजस्व रेकर्ड में जरिये फौतेदगी नामानतरण संख्या 95 के उक्त आराजी मे वादीगण संख्या 1 के पति व 2 के पिता तथा 3 के ससूर एवं 4 से 6 के दादा का नाम **हीरा वल्द हजारीराम** का इन्द्राज कर दिया, जो गलत है। वादीगण के पति, पिता व ससुर तथा दादा का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम **शिवराज पुत्र हजारीराम है।**

2. वादिया कमली पुत्री शिव[illegible] का शपथ-पत्र P/W 01 प्रस्तुत करते हुए सशपथ [illegible] 'जरिये फौतेदगी म्युटेशन संख्या 81 एवं 95 के वादीगण के पति, पि[illegible] ससुर व दादा का नाम क्रमशः शिवराज वल्द हजारीराम एवं हीरा वल्द हजारीराम दर्ज कर दिया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:48 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

जबकि दस्तावेजी नाम शिवराज पुत्र हजारीराम है।'' अन्य गवाह में वादीगण छोटूडी पत्नी बक्साराम एवं राकेश पुत्र बक्साराम ने शपथ-पत्र P/W 02, 03 प्रस्तुत करते हुए वादिया कमली पुत्री शिवराज के कथनों का समर्थन करते हुए सशपथ कथन किया कि ''वादीगण के पति, पिता, ससुर एवं दादा का सही व दस्तावेजी नाम शिवराज पुत्र हजारीराम है।''

3. वाद के समर्थन में दस्तावेज यथा जमाबंदी संवत् 2035-2038 (प्रदर्श-9), संवत् 2039-2042 (प्रदर्श-10) एवं संवत् 2031-2034 (प्रदर्श-8) के अवलोकन से स्पष्ट है कि हजारी पुत्र भूरा के फौत होने पर फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 81 से शिवराज पुत्र हजारी एवं म्यूटेशन संख्या 93 से हीरा पुत्र हजारी का इन्द्राज किया गया। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076-2079 (प्रदर्श-1,2,3,4,5) में वादीगण के पति, पिता, ससुर एवं दादा के नाम हीरा पुत्र हजारी का इन्द्राज है परन्तु जमाबन्दी संवत् 2076-2079 (प्रदर्श-6) खसरा नम्बर 13, 253, 340 एवं जमाबन्दी संवत् 2076-2079 (प्रदर्श-7) के खसरा नम्बर 9 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जमाबन्दी में वादिया अणदाई पत्नी शिवराम एवं कमली पुत्री शिवराम के नाम का नाम इन्द्राज है।

4. अन्य दस्तावेजात में वादीगण ने अपने पति, पिता, ससुर, दादा का मृत्यु प्रमाण-पत्र (प्रदर्श-11ए), शिवराज पुत्र हजारीराम का आधार कार्ड (प्रदर्श-12ए), राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड (प्रदर्श-13ए), भामाशाह कार्ड (प्रदर्श-14ए) एवं वादिया अणदाई का आधार कार्ड (प्रदर्श-17ए) प्रस्तुत किये गए। उक्त सभी दस्तावेजों में वादीगण के पति, पिता, ससुर एवं दादा के नाम शिवराज पुत्र हजारीराम के नाम प्रविष्ठि दर्ज है।

5. तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि मौका जाँच अनुसार व दस्तावेजों के अनुसार शिवराज पुत्र हजारीराम को गांव में बोलचाल की भाषा में शिवराम पुत्र हजारीराम व हीराराम पुत्र हजारीराम के नाम से भी पुकारा जाता था। उपरोक्त अनुसार वास्तविक व सही नाम शिवराज पुत्र हजारीराम है। फर्द मौका जांच व शिवराज पुत्र हजारी के अन्य दस्तावेजी यथा आधारा कार्ड, परिचय पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर हीरा पुत्र हजारीराम, शिवराम पुत्र हजारीराम के स्थान पर शिवराज पुत्र हजारीराम वास्तविक नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

इस प्रकार तहसीलदार, जैतारण के जवाब दावा एवं वादीगण के शपथ-पत्र एवं गवाह स्वयं कमली पुत्री शिवराज, छोटूडी पत्नी बक्साराम एवं राकेश पुत्र बक्साराम का शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 13, 253, 340, 9 ग्राम खारचिया के भू-अभिलेख में वादिया अणदाई पत्नी शिवराम एवं कमली पुत्री शिवराम के क्रमशः पति व पिता के नाम की दर्ज प्रविष्टि 'शिवराम' की

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:48 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

जगह 'शिवराज' किया जाना उचित है। इसी तरह वादग्रस्त आराजी के अन्य खसरा नम्बरान 336, 86, 97, 95, 16, 160, 218, 243, 255, 338, 89, 91, 232, 337 ग्राम खारचिया, पटवार हल्का कांवलिया कलां के भू-अभिलेख में वादीगण के पति, पिता, ससुर एवं दादा के नाम की प्रविष्टि हीरा पुत्र हजारी दर्ज है। अतः वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बरान 336, 86, 97, 95, 16, 160, 218, 243, 255, 338, 89, 91, 232, 337 के भू-अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि 'हीरा पुत्र हजारी' दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर '**शिवराज पुत्र हजारीराम**' दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 13 रकबा 0.8903 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.1942 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.2347 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 9 रकबा 2.5495 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा ग्राम खारचिया, पटवार हल्का कांवलियाकलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण के ***भू-अभिलेख में अणदाई पत्नी शिवराम, कमली पुत्री शिवराम*** *नाम* अंकित है उसे विलोपित करते हुये पति व पिता के सही व दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि दर्ज करते हुए ***'अणदाई पत्नी शिवराज, कमली पुत्री शिवराज'*** को दर्ज करते इस आशय की घोषणा की जाती है एवं भू अभिलेख में अद्यतन एवं परिशुद्ध किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। वादग्रस्त आराजी के अन्य खसरा नम्बरान खसरा नम्बर 336 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 86 रकबा 3.3589 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 97 रकबा 1.6430 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 95 रकबा 4.1521 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.4371 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 160 रकबा 3.6664 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 243 रकबा 0.1214 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 338 रकबा 2.428[illegible] हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.1295 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 337 रकबा 0.7527 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:48 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

किस्म चाही चारम सरहद मौजा ग्राम खारचिया, पटवार हल्का कांवलियाकलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण के ***भू-अभिलेख में हीरा पुत्र हजारी*** *नाम* अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि ***'शिवराज पुत्र हजारीराम'*** को दर्ज करते इस आशय की घोषणा की जाती है एवं भू अभिलेख में अद्यतन एवं परिशुद्ध किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक हिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

जिला-ब्यावर (राज०)

निर्णय आज दिनाँक 25/01/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

जिला-ब्यावर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi

Date: 2024.03.06 12:41:48 IST

Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– **उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,**
मुकाम :– **जैतारण**
बईजलास :– **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

–: वादीगण :– **बनाम** **–: प्रतिवादी :–**

1. अणदाईदेवी पत्नी शिवराज
2. कमलादेवी पुत्री शिवराज
3. छोटूडी पत्नी शिवराज
4. राकेश पुत्र बक्साराम
5. सरिता पुत्री बक्साराम
6. सनु पुत्री बक्साराम

जातियान जाट निवासीगण खारचिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

1. तहसीलदार, जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

मु0न0 :रा0वा0स0– 152/2022

दावा बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....–........ व हाजरी श्री किशोर कुमावत, श्री राजुराम कुमावत, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खसरा नम्बर 13 रकबा 0.8903 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.1942 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.2347 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 9 रकबा 2.5495 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा ग्राम खारचिया, पटवार हल्का कांवलियाकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण के ***भू–अभिलेख में अणदाई पत्नी शिवराम, कमली पुत्री शिवराम*** *नाम* अंकित है उसे विलोपित करते हुये पति व पिता के सही व दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि दर्ज करते हुए ***'अणदाई पत्नी शिवराज, कमली पुत्री शिवराज'*** को दर्ज करते इस आशय की घोषणा की जाती है एवं भू अभिलेख में अद्यतन एवं परिशुद्ध किया जाता है। अन्य प्रविष्ट्यिां यथावत रहेगी। वादग्रस्त आराजी के अन्य खसरा नम्बरान खसरा नम्बर 336 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 86 रकबा 3.3589 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 97 रकबा 1.6430 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 95 रकबा 4.1521 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.4371 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 160 रकबा 3.6664 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 243 रकबा 0.0121 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 338 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.1295 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.0081 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:48 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 337 रकबा 0.7527 हैक्टेयर किस्म चाही चारम सरहद मौजा ग्राम खारचिया, पटवार हल्का कांवलियाकलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण के **भू-अभिलेख में *हीरा पुत्र हजारी*** *नाम* अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि ***'शिवराज पुत्र हजारीराम'*** को दर्ज करते इस आशय की घोषणा की जाती है एवं भू अभिलेख में अद्यतन एवं परिशुद्ध किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **25/01/2024** को जारी किया गया।

मोहर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	12.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः-	17.00	मिजानः-	0.00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:48 IST
Reason: SelfAttested